उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

अधिहरण वाद संख्या–81/2022–23

सरकार

बनाम्

मधुरेन्द्र सिंह एवं अन्य

—: आदेश :—

दिनांक 8/2/23

सरकारी वकील एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

मामला बोआरीजोर थाना काण्ड संख्या–41/2022 दिनांक–30.10.2022 से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक गोड्डा ने अपने पत्रांक–85/अप0शा0 दिनांक–12.01.2023 से धारा–379/411 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत कांड में जप्त 1. हाईवा ट्रक वाहन निबंधन सं0–UP78FN-1641, 2. हाईवा ट्रक वाहन निबंधन सं0–JH04K-8105, 3. ट्रक वाहन निबंधन सं0–BR01GH-9326, 4. ट्रक वाहन निबंधन सं0–BR10GB-8719 एवं 5. ट्रक वाहन निबंधन सं0–BR10GA-9698 तथा उस पर लदे स्टोन चिप्स को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया है, जिसके आधार पर वर्तमान वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा का प्रतिवेदन है कि वर्तमान कांड वादी जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त 1. हाईवा ट्रक वाहन निबंधन सं0–UP78FN-1641, 2. हाईवा ट्रक वाहन निबंधन सं0–JH04K-8105, 3. ट्रक वाहन निबंधन सं0–BR01GH-9326, 4. ट्रक वाहन निबंधन सं0–BR10GB-8719 एवं 5. ट्रक वाहन निबंधन सं0–BR10GA-9698, के मालिक एवं चालक के विरूद्ध अवैध रूप से स्टोन चिप्स की चोरी कर परिवहन करने में अंकित किया गया है एवं पर्यवेक्षणोपरांत प्रतिवेदन संख्या–02 में इस कांड को धारा–379/411 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत प्राथमिकी अभियुक्त 1. हाईवा ट्रक वाहन निबंधन सं0–UP78FN-1641, 2. हाईवा ट्रक वाहन निबंधन सं0–JH04K-8105, 3. ट्रक वाहन निबंधन सं0–BR01GH-9326, 4. ट्रक वाहन निबंधन सं0–BR10GB-8719

एवं 5. ट्रक वाहन निबंधन सं0–BR10GA-9698, के मालिक एवं चालक के विरूद्ध सत्य पाया गया है तथा काण्ड में 1. हाईवा ट्रक वाहन निबंधन सं0–UP78FN-1641, के मालिक मधुरेन्द्र सिंह, पिता–मारकंडे सिंह, बी0–178, वार्ड कलॉनी, बरा कानपुर नगर–208027, 2. हाईवा ट्रक वाहन निबंधन सं0–JH04K-8105, के मालिक रमेश कुमार सिंह, पिता–स्व0 रोहिणी सिंह, सा0–महागामा, जिला–गोड्डा, 3. ट्रक वाहन निबंधन सं0–BR01GH-9326, के मालिक अरूण राय, पिता–उपेन्द्र राय, सा0–कठौलिया, थाना–बिदुपुर, जिला–वैशाली, बिहार, 4. ट्रक वाहन निबंधन सं0–BR10GB-8719, के मालिक शिवजी साह, पिता–रामवतार साह, सा0–संग्रामपुर, जिला–खगड़िया–851214 एवं 5. ट्रक वाहन निबंधन सं0–BR10GA-9698 के मालिक डब्लु कुमार, पिता–राजेन्द्र प्रसाद यादव, सा0–चकुसैनी मांसी चौक, खगड़िया, बिहार–822131 के रूप में सत्यापित हुआ है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने कांड में 1. हाईवा ट्रक वाहन निबंधन सं0–UP78FN-1641, 2. हाईवा ट्रक वाहन निबंधन सं0–JH04K-8105, 3. ट्रक वाहन निबंधन सं0–BR01GH-9326, 4. ट्रक वाहन निबंधन सं0–BR10GB-8719 एवं 5. ट्रक वाहन निबंधन सं0–BR10GA-9698 तथा उस पर लदे स्टोन चिप्स के विरूद्ध धारा–379/411 भां0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत राजसात करने के लिए अनुरोध किया है।

विपक्षीगण को कारण–पृच्छा दायर करने के लिए नोटिश का तामिला कराया गया। विपक्षीगण के द्वारा कारण–पृच्छा दाखिल किया गया है।

विपक्षी सं0–01 मधुरेन्द्र सिंह एवं विपक्षी सं0–02 रमेश कुमार सिंह का कथन है कि जप्त वाहन के द्वारा स्टोन चिप्स का परिवहन वैध चालान के आधार पर किया जा रहा था एवं अपने गणतेब्य की ओर जा रहा था। उसी बीच वाहन को जप्त कर लिया गया है। ऐसी स्थिति में राजसात की कार्रवाई उचित नहीं है। उन्होंने उक्त जप्त वाहन को मुक्त करने के लिए अनुरोध किया है।

विपक्षी सं0–03 अरूण राय का कथन है कि विपक्षी जप्त वाहन सं0–BR01GH-9326 के मालिक है। मामला दर्ज होने के बाद विपक्षी एवं जप्त वाहन के चालक के द्वारा अग्रिम जमानत के लिए सत्र न्यायाधीश, गोड्डा के न्यायालय में बी0पी0 नं0–1105/2022 वाद दायर किया गया था, जिसमें शर्तों के साथ विपक्षी एवं चालक को जमानत मिल गया है। चूँकि जप्त वाहन व्यवसायिक वाहन है। इसलिए अधिक दिनों तक जप्त करके

रखने से विपक्षी को आर्थिक क्षति होगी। इसलिए जप्त वाहन को विमुक्त करने की कृपा की जाय।

विपक्षी सं0–04 शिवजी साह का कथन है कि विपक्षी जप्त वाहन सं0–BR10GB-8719 के मालिक है। मामला दर्ज होने के बाद विपक्षी एवं जप्त वाहन के चालक के द्वारा अग्रिम जमानत के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–1, गोड्डा के न्यायालय में बी0पी0 नं0–1049/2022 वाद दायर किया गया था, जिसमें शर्तों के साथ विपक्षी एवं चालक को जमानत मिल गया है। चूँकि जप्त वाहन व्यवसायिक वाहन है। इसलिए अधिक दिनों तक जप्त करके रखने से विपक्षी को आर्थिक क्षति होगी। इसलिए जप्त वाहन को विमुक्त करने की कृपा की जाय।

विपक्षी सं0–05 डब्लू कुमार का कथन है कि जप्त वाहन के मालिक एवं चालक को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोड्डा के न्यायालय के जमानत आवेदन सं0–545/2022 में दिनांक–24.11.2022 के द्वारा जमानत दे दिया गया है। चूँकि जप्त वाहन व्यवसायिक वाहन है और जप्त वाहन को थाना पर खुले स्थान पर रखा गया है। जप्त वाहन की स्थिति दयनीय होती जा रही है। इसलिए जप्त वाहन को विमुक्त करने की कृपा की जाय।

विपक्षी सं0–01 एवं 02 की ओर से प्रस्तुत किये गये चालान के वैधता के संबंध में जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा से प्रतिवेदन की मांग की गई है। जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के पत्रांक–147/एम0 दिनांक–06.02.2023 से प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदित किया गया है कि प्रस्तुत चालान की वैधता दिनांक–29.10.2022 को समय 12.47 बजे अपराह्न तक के लिए मान्य है। जबकि उपरोक्त दोनों वाहनों को दिनांक–29.10.2022 को अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा, थाना प्रभारी, बोआरीजोर एवं पुलिस बल के साथ जाँच के क्रम में समय लगभग 11.30 बजे रात्री को जप्त की गई थी। इस प्रकार जाँच के समय दोनों ई–परिवहन चालन मान्य नहीं है।

सरकारी वकील का कथन है कि स्टोन चिप्स परिवहन के कारण जप्त वाहन को राजसात करने के लिए वाद चलाया गया है। अवैध स्टोन चिप्स प्रश्नगत वाहन द्वारा ले जाने के क्रम में जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा जप्त किया गया है। बोआरीजोर थाना काण्ड संख्या–41/2022 दिनांक–30.10.2022, भा0द0वि0 की धारा–379/411 तथा झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 की धारा 4/54 तथा खान एवं खनिज अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 तथा झारखण्ड खनिज परिवहन एवं भंडारण अधिनियम 2017 के तहत जप्त कर बोआरीजोर

थाना में रखा गया है। आर्थिक क्षति को देखते हुए शर्तों के आधार पर जप्त वाहन को विमुक्त किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी का 1. हाईवा ट्रक वाहन निबंधन सं0–UP78FN-1641, 2. हाईवा ट्रक वाहन निबंधन सं0–JH04K-8105, 3. ट्रक वाहन निबंधन सं0– BR01GH-9326, 4. ट्रक वाहन निबंधन सं0–BR10GB-8719 एवं 5. ट्रक वाहन निबंधन सं0–BR10GA-9698, को स्टोन चिप्स चोरी कर परिवहन करने में पकड़े जाने पर जप्त किया गया है। विपक्षी के द्वारा कारण–पृच्छा में दर्शाये गये ई–चालान का जाँच कराया गया, जो सही नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि जप्त वाहन अवैध तरीके से स्टोन चिप्स चोरी कर परिवहन में संलिप्त पाया गया है। लेकिन चूँकि जप्त वाहन खुले स्थान पर पड़ा हुआ है तथा वाहन का उपयोग नहीं होने पर आर्थिक क्षति होने की संभावना है। जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा ने झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) नियम 54(5) के तहत जुर्माना राशि से संबंधित प्रतिवेदन दिया गया है।

अतः झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) नियम 54(5) के तहत खनिज मूल्य का दोगुनी राशि एवं पूर्व में संलिप्तता के आलोक में अतिरिक्त दण्ड के राशि, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

वाहन संख्या	पूर्व में अवैध परिवहन में संलिप्तता की संख्या	खनिज एवं खनिज की मात्रा (CFT)	खनिज का मुल्य	खनिज का दुगुनी राशि	अतिरिक्त दण्ड की राशि	कुल दण्ड की राशि
UP78FN-1641	02	900	30780.00	61560.00	100000.00	161560.00
JH04K-8105	01	500	17100.00	34200.00	50000.00	84200.00
BR01GH-9326	00	900	30780.00	61560.00	00.00	61560.00
BR10GB-8719	00	700	23940.00	47880.00	00.00	47880.00
BR10GA-9698	00	900	30780.00	61560.00	00.00	61560.00

एवं दो–दो लाख रू0 का जमानत बंध–पत्र तथा निम्नलिखित शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं एक–एक स्थानीय जमानतदार का कागजात के आधार पर जप्त वाहन 1. हाईवा ट्रक वाहन निबंधन सं0–UP78FN-1641, 2. हाईवा ट्रक वाहन निबंधन सं0–JH04K-8105, 3. ट्रक वाहन निबंधन सं0– BR01GH-9326, 4. ट्रक वाहन निबंधन सं0–BR10GB-8719 एवं 5. ट्रक वाहन निबंधन सं0–BR10GA-9698, को विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

1. जब कभी भी न्यायालय को वाहन मालिक/वाहन की आवश्यकता होगी, अविलम्ब न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे वो वाहन को न्यायालय में समर्पित करेंगे।
2. वाहन को किसी दुसरे के पक्ष में बिना न्यायालय के आदेश का हस्तांतरण नहीं करेंगे।
3. उक्त वाहन मालिक अपना हस्ताक्षरित आधार कार्ड पर मोबाईल नं0 अंकित कर समर्पित करेंगे।

जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा को आदेश दिया जाता है कि जुर्माना की उपरोक्त राशि, उपरोक्त शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं दो–दो लाख रू0 का जमानत बंध–पत्र तथा एक–एक स्थानीय जमानतदार से संबंधित कागजात के आधार पर उपरोक्त जप्त वाहन एवं उस पर लदे स्टोन चिप्स को विमुक्त करेंगे तथा इसकी सूचना सभी संबंधित को देंगे।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त
गोड्डा

उपायुक्त
गोड्डा

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.03.04 11:59:35 +05:30
Location: 172.23.192.1